वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 181/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-22.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 22.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-पवई:-मोबाइल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त चोरी के एक अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 21.05.25 को वादी यादवेन्द्र कुमार यादव उर्फ मिन्टू यादव पुत्र राम लौटन यादव ग्राम हडिया थाना पवई जनपद आजमगढ हाल मुकाम ग्राम शाहमर्दानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 21.05.25 को रात्रि के समय 02.00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर इनवर्टन का प्लग निकालकर, बिजली की सप्लाई बन्द करके वादी के पिता का मोबाईल चोरी कर लिया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष संकलन के आधार पर सन्तोष बिन्द पुत्र मदन बिन्द निवासी आनापुर चकुवा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 22.05.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सन्तोष बिन्द पुत्र मदन बिन्द निवासी आनापुर चकुवा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को बेलवाई पुलिया से बेलवाई मन्दिर की तरफ जाने वाले मार्ग के पास से समय करीब 04.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल विवो Y21 को बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 149/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 108/23 धारा 307, 323, 34, 504, 506 भादवि थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 125/19 धारा 323/325/506 भादवि थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 149/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी विवरण:-

01. चोरी गये मोबाइल विवो Y 21

गिरफ्तार करने वाली थाना पवई की टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा थाना पवई जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 कपिल कुमार सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़
03.का0 सुरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

02.थाना-रौनापार:- रंगदारी मागने वाला हिस्ट्रीशीटर तथा गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग संख्या - IR-23 का 01 सदस्य अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 21.05.2025 को वादी संतोष सिंह पुत्र स्व0 कल्पनाथ सिंह निवासी मसुरियापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीर्थराज सिंह उर्फ तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर (बघावर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी से रंगदारी माँगना व जान माल की धमकी दिया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 182/25 धारा 308(5) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.05.25 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित हिस्ट्रीशीटर तथा गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग संख्या - IR-23 के सदस्य अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीर्थराज सिंह उर्फ तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर (बघावर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को उसके घर से समय करीब 01.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 182/25 धारा 308(5)बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीर्थराज सिंह उर्फ तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर (बघावर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	298/2002	धारा 147/148/149/307/353/332/ 336/342 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
2.	66/2011	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
3.	67/2011	8/20 एनडीपीएस एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
4.	155/23	420,467,468,471,504,506,120बी भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
5.	675/2007	¾ गुण्डा अधि0	रौनापार	आजमगढ़
6.	182/25	308(5)बीएनएस	रौनापार	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1 सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीर्थराज सिंह उर्फ तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर (बघावर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष (हिस्ट्रीशीटर तथा गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग संख्या - IR-23 के सदस्य)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 सुमित सिह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

02.का0 नित्यानन्द सिह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

03.का0 उमेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त किसी गैंग का सदस्य है तो उसका विवरण-

अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीर्थराज सिंह उर्फ तीरथ सिंह निवासी ताहिरपुर (बघावर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष गैंग लीडर धुर्व सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग संख्या - IR-23 का सदस्य है। व थाना रौनापार का हिस्ट्रीसीटर है।

03.थाना-देवगाँवः-चोरी के मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.05.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह के साथ हाईड्रिल तिराहे के पास पैदल गस्त कर रहे थे कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल सवार लालगंज बाईपास रोड की तरफ से आता हुआ दिखायी दिया। जिसे नजदीक आने पर पुलिस बल द्वारा रोकने पर मोटरसाइकिल सवार पुलिस बल को देखकर एकाएक मोटरसाईकिल मोडकर पीछे भागना चाहा कि मोटरसाईकिल मोड़ते समय मोटर साइकिल फिसलकर अनियंत्रित होकर गिर गयी। जिसे मौके पर ही समय करीब 00.54 बजे पकड़ लिया है। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम विनोद सिंह उर्फ पिंकू पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी लोहरा खोर थाना चंदवक जनपद जौनपुर बताया जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनोद सिंह उर्फ पिंकू पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी लोहरा खोर थाना चंदवक जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण-

01. 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
03. चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा थाना देवगांव आजमगढ़
3. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा थाना देवगांव आजमगढ़
4. उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद थाना देवगांव आजमगढ़
5. का0 अजय पाल थाना देवगांव आजमगढ़
6. का0 सुरेश यादव थाना देवगांव आजमगढ़

04.थाना-जहानागंजः-किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 18.05.2025 को आवेदक द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग भतीजी जो दिनांक 13.05.2025 को खाना बनाने हेतु लकड़ी लेने पुराने घर पर गई थी कि अभियुक्त पिन्टू सरोज पुत्र राका सरोज निवासी ग्राम सपनार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ जो अपने ननिहाल में रह रहा है द्वारा दुष्कर्म किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-169/25 धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट, बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 22.05.25 को व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पिन्टू सरोज पुत्र राका सरोज निवासी सपनार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को ब्लाक तिराहे से करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0- 169/25 धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पिन्टू सरोज पुत्र राका सरोज निवासी सपनार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

01. व0उ0नि0 श्री हृदयानन्द पाठक थाना जहानागंज आजमगढ़
02. हे0का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

05.थाना-कोतवाली:-चोरी करने वाली 01 अभियुक्त चोरी के 02 अदद सोने के कडे के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादी दीपक कुमार वर्मा S/O राजकुमार सेठ सा0 अनन्तपुरा कटरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाक 29.04.25 को समय करीब शाम 5.45 बजे मेरे ज्वैलरी की दुकान पर एक महिला आयी तथा मुझसे सोने का कड़ा दिखाने के लिए बोली, मैने उस महिला को कई सेट सोने का कड़ा निकाल कर दिखाया जो नकाब पहनी थी। उस महिला ने दो कड़ा निकाल कर अपने हाथ मे पहन लिया मैं दूंसरे ग्राहक को गहना दिखाने लगा तब तक उस नकाब वाली महिला जो दो कड़ा पहनी थी उठकर तुरन्त चली गयी जब मैं उस महिला को तुरन्त खोजना शुरु किया। परन्तु वह महिला नहीं मिली। वह महिला कड़ा चुरा कर चली गई है । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 236/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात महिला के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 22.05.2025 को उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, हे0कां0 संतोष तिवारी, हे0कां0 सुनील कुमार, म0कां0 अर्चना पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आयी अभियुक्ता समा परवीन पत्नी रईश अहमद निवासी चूड़ीहार मोहल्ला थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को कालीचौरा तिराहे से समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से दो पीले धातु के कड़े बरामद हुए। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

समा परवीन पत्नी रईश अहमद निवासी चूड़ीहर मोहल्ला थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. चोरी की दो अदद पीली धातु के कड़े
02. एक अदद मोबाईल ओपो
03. 1160 रूपया नगद।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 236/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी थाना कोतवाली आजमगढ़
02. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़
03. हे0कां0 संतोष तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़
04. हे0कां0 सुनील कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़
05. म0कां0 अर्चना पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़

06.थाना-निजामाबाद:-गिरफ्तार 14 नफर वारण्टी

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 22.05.25 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित कुल 04 टीमों द्वारा विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में 14 नफर वारण्टी गिरफ्तार किये गये। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. सत्यनरायन पुत्र तपसी उम्र 50 वर्ष
2. अमरनाथ पुत्र सोहित उम्र 37 वर्ष निवासीगण बनगाँव थाना निजामाबाद आजमगढ
3. महेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र दुल्लम उर्फ बुद्दु उम्र 60 वर्ष निवासी मोहनाठ थाना निजामाबाद,आजमगढ
4. मोनू पुत्र बदरूद्दीन उम्र 32 वर्ष
5. मनीस पुत्र अब्दुल लतीफ उम्र 35 वर्ष निवासीगण संगहीपुर (डोडोपुर) थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. विनोद मौर्य पुत्र लालचन्द मौर्य निवासी शाहपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष
7. ईशा पत्नी जावेद निवासी चुनहटा थाना निजामाबाद आजमगढ
8. क्रान्ति प्रजापति पत्नी बालचन्द उम्र 50 वर्ष
9. बालचन्द पुत्र बद्री उम्र 55 वर्ष
10. सरिता पत्नी जितेन्द्र उम्र 35 वर्ष
11. वीना देबी पत्नी रामबचन उम्र 40 वर्ष
12. पुजा प्रजापति पुत्री महेश प्रजापति उम्र 27 वर्ष
13. गायत्री प्रजापति पत्नी महेश उम्र 55 वर्ष
14. महेश पुत्र भजू उम्र 58 वर्ष निवासीगण ग्राम वजीरमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

07.थाना-कप्तानगंज:-साइबर फ्राड का 35,000 रूपया वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.02.25 को आवेदक सचिवेन्द्र पाल पुत्र झूरी पाल साकिन कौड़िया थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ जिनका डिस्पोजल दोना पत्तल का कारखाना है के मोबाइल पर फोन कर अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा काल कर व्हाट्सएप्प पर लिंक भेज कर एप्प इन्स्टाल करा कर मोबाइल को हैक कर लिया तथा आवेदक के फोन से ओटीपी प्राप्त कर 38000 रूपये खाते से ट्रांसफर करा लिया गया था । जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कप्तानगंज पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23102250030353 है साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 35000 रू0 होल्ड करा दिया गया था । आवेदक का फ्राड हुआ पुरा 38000 रूपये में से 35000 रूपये वापस करा दिया गया है ।

रूपया वापसी का विवरण:-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना कप्तानगंज के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव व महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्तव द्वारा आवेदक सचिवेन्द्र पाल पुत्र झूरी पाल साकिन कौड़िया थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते से स्थानान्तरित हुए रूपयो की जाँच किया गया तो ज्ञात हुआ की आवेदक के 3000 रूपये एटीएम से निकाल लिया गया था तथा 35000 रूपये बैंक आफ इण्डिया के खाते में स्थानान्तरित किया गया था जिसे होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायालय के आदेश से वापस आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

* कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।
* संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।
* ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।
* अन्जान नम्बरो से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय थाना कप्तानगंज
02.उ0नि0 अमन तिवारी (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना कप्तानगंज
03.क0आ0 ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज
04.महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्वत (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानंगज

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए ***जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये*** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तरवा में पंजीकृत अपराध जिसमें नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए ***1 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये*** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 15.04.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवा पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 14.04.2024 को अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र विजय नारायन सिंह निवासी नुरपुर उर्फ भवरपुर थाना तरवा जनपद *आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया।*

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 110/2024 धारा-8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 22.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र विजय नारायन सिंह निवासी नुरपुर उर्फ भवरपुर थाना तरवा जनपद *आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*